# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(लोकेश कुमार गौत्तम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 16/2018

शकंर मीणा पुत्र जगदीश मीणा निवासी कासिमपुरा पोस्ट चौरू तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

-प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक 10.05.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 09.01.2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

खसरा नम्बर 2211,1072,2281,1973,1963,570,2053,2031 व 1293 ग्राम चौरू के 2004 से जमाबंदी व वर्तमान जमाबंदी के मिलान क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेस सैटलमेंट नम्बर की कॉपी दिलाने व 2211 खसरा का मुआवजा दिलाने बाबत।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र क्रमांक 526 दिनांक 27.03.2018,573 दिनांक 09.04.2018,637 दिनांक 16.04.2018 व 697 दिनांक 26.04. 2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा ने पत्र क्रमांक 2062 दिनांक 03.05.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1658 दिनांक 06.04.2018 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना उपलब्ध करवादी गई है। प्रार्थी के उपस्थित न होने से यह जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा से प्राप्त सूचना से अपीलार्थी सहमत है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(लोकेश कुमार गौत्तम)
जिला कलेक्टर एवं
**प्रथम अपील अधिकारी टोंक**

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)